न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 48/2020

1. श्रीमती जन्नू देवी पत्नी स्व. श्री धूणाराम उम्र 70 वर्ष
2. शंकरलाल पुत्र स्व. धूणाराम उम्र 50 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. धूणाराम उम्र 40 वर्ष
4. भोमसिंह पुत्र स्व. धूणाराम उम्र 35 वर्ष
5. अमरसिंह पुत्र स्व. धूणाराम उम्र 30 वर्ष
6. श्रीमती रूकमा पुत्री स्व. धूणाराम उम्र 45 वर्ष
7. श्रीमती सन्ती देवी पुत्री स्व. धूणाराम उम्र 34 वर्ष
8. श्रीमती विद्या देवी पुत्री स्व. धूणाराम उम्र 28 वर्ष

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम लाडाकाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) मो.नं. 9783514132

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2. नायब तहसीलदार पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 प्राधिकरण दिल्ली

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 675 ग्राम लाडाकाबास तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली दिनांक नामुलम

निर्णय

दिनांक 21.1.2021

अपीलार्थीगण् नामान्तरकरण संख्या 675 वाके ग्राम लाडाकाबास तहसील कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व जरिये वकील अपील पेश की गयी है, जिसमें वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

1. यह है कि अपीलान्ट के पिता स्व. धूणाराम पुत्र दूला कौम रैगर आराजी खसरा नम्बर 556/0.74 है0 स्थित ग्राम लाडाकाबास के खातेदार काश्तकार काबिज थे उनकी मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 6%5 के द्वारा विरासत से धूणा पुत्र दूला रैगर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2029 से 2073 में अपीलान्ट का नाम बहैशियत खातेदार काश्तकार मालिक हो चुका है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की 06 लाईन विस्तार हेतु खसरा नम्बर 656 में से 698 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी थी। उपरोक्त अपीलान्ट की भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 656/1098 है, जिसका खातेदार काश्तकार श्योचन्द पुत्र दूला रैगर है। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान् के पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 है, जिसकी 06 लाईन विस्तार हेतु खसरा नम्बर 656/1098 में 951 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त दोनों खसरा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नम्बरान् में 1649 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट के पिता के नाम खसरा नम्बर 656 में जो 698 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी थी उसका भुगतान 364279/- रू. किया गया एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 656/1098 में जो 951 मीटर भूमि अवाप्त की गयी थी उसका भुगतान 496315/- रू. श्योचन्द पुत्र दुला रैगर को भुगतान किया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 656/0.74 में 698 भूमि कम की जाकर उसका क्षेत्रफल 0.6702 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था इसी प्रकार खसरा नम्बर 656/1098 क्षेत्रफल 0.75 में 951 वर्गमीटर भूमि कम की जाकर उसका क्षेत्रफल 0.6549 है. दर्ज होना चाहिए था परन्तु रेस्पोडेन्ट मनमानी एवं लापरवाही पूर्ण तरिके से पद का दुरूपयोग करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 975 में अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 656 रकबा 0.74 है. में सम्पूर्ण रकबा 1649 वर्गमीटर कम करके राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का क्षेत्रफल 656/0.5751 दर्ज कर दिया, जबकि इसकी जगह खसरा नम्बर 656/0.6702 दर्ज होना चाहिए था। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी बैंक से ऋण लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवायी तब गत सप्ताह प्रथमबार जानकारी मिली जिससे व्यथिता होकर उक्त अपील पेश की है।

2. यह है कि नामान्तरकरण संख्या 675 ग्राम लाडाकाबास लापरवाही एवं मनमाने तरिये से रिकॉर्ड के विपरीत एवं विधि विरूद्व भरा गया है तथा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण कौनसे वर्ष में स्वीकृत किया गया है एवं तारीख भी स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर लापरवाही से भरा जाकर स्वीकृत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 656/0.74 जो अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है उसमें 698 वर्गमीटर भूमि है अवाप्त की गयी थी 698 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा अपीलान्ट को अदा किया है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के द्वारा 1649 वर्गमीटर मनमानी तरिके से अपीलान्ट की भूमि कम कर दी गयी, जो विधि विरूद्व है। रेस्पोडन्ट को अपास्त की गयी भूमि से ज्यादा भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं है यानि 698 वर्गमीटर की जगह 1649 वर्गमीटर भूमि कम करने का रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी गत सप्ताह बैंक ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की तब जानकारी हुयी।

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 675 इस हद तक खारिज किया जाकर अपीलान्टस् की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 656/0.74 है0 भूमि में 698 वर्गमीटर की बजाये 1649 वर्गमीटर भूमि कम की जाकर नया नम्बर 656/1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली के नाम दर्ज किया गया है। उसकी जगह 656/1 का क्षेत्रफल 698 वर्गमीटर कम किया जाकर अपीलान्ट के खसरा नम्बर 656 का क्षेत्रफल 0.6702 है0 दर्ज किया जावें तथा इस आवश्यक का आदेश रेस्पोडेन्ट को जारी किया जावें।

4. अपीलान्टस द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिरपोर्ट समात पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु नियमानुसार

सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 की ओर से जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

5. यह है कि इस न्यायालय के पत्रांक 125/कोर्ट/2020 दिनांक 21/10/2020 के द्वारा तहसीलदार पावटा से प्रकरण में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार पावटा द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./20/3162 दिनांक 18/12/2020 के द्वारा मौका एवं रिकॉर्ड की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो संलग्न पत्रावली है।

6. बहस सुनी गयी वकील अपीलान्टस् का कथन है कि आ.ख.नं. 656/0.74 है0 ग्राम लाडाकाबास अपीलान्टस के पिता स्व. धूणाराम पुत्र दूला कौम रैगर खातेदार काश्तकार काबिज थे, जिनकी मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 675 विरासत का मृतक धुणा पुत्र दुला रैगर के स्थान पर अपीलान्टस् का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुका है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 की 06 लेन विस्तार हेतु खसरा नम्बर 656 में से 698 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी थी। अपीलान्ट की भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 656/1098 है, जिसका खातेदार श्योचन्द पुत्र दुला रैगर है। उक्त खसरा नम्बर 656/1098 में 951 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त दोनों खसरा नम्बरान् में कुल 1649 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी है तथा इसी अनुसार दोनों खसरा नम्बरान् के अपने–अपने हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त की है, परन्तु तहसीलदार कोटपूतली द्वारा एन.एच 08 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 675 दर्ज करते समय दोनों खसरा नम्बरान् का अवाप्तशुदा कुल रकबा 1649 वर्गमीटर एक मात्र खसरा नम्बर 656 में से कम किया जाकर एन.एच 8 के पक्ष में खसरा नम्बर 656/1/0.1649 कायम कर दिया, जबकि ख.नं. 656 में से अवाप्तशुदा रकबा 698 वर्गमीटर से ख.नं. 656/1/0.698 एन.एच 08 के पक्ष में करना चाहिए था तथा ख.नं. 656/1098 के अवाप्तशुदा रकबा 951 वर्गमीटर का एन.एच 08 के पक्ष में कोई नामान्तरकरण दर्ज किया ही नहीं गया इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 675 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली अपीलान्ट की खातेदारी के हितों के खिलाफ है। अतः हाल ख.नं. 656/1/0.1649 एन.एच 08 के नाम है में से रकबा 951 वर्गमीटर भूमि वापिस अपीलान्ट के खाते में तथा ख.नं. 656/1098/0.75 है0 में से 951 वर्गमीटर एन.एच 08 के पक्ष में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें। तहसीलदार पावटा की रिपोर्ट मुताबिक अवाप्तशुदा भूमि का इन्द्राज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नामान्तरकरण संख्या 675 से किया गया जिसके अन्तर्गत उक्त दोनों खसरा नम्बर 656 व 656/1098 दोनों में से कुल अपाप्त भूमि 1649 वर्गमीटर का नामान्तरकरण दोनों खसरा नम्बरों में से अलग–अलग ना करके एक ही खसरा नम्बर 656 रकबा 0.74 है. में से ही किया गया है। उक्त ख.नं. में से 698 वर्गमीटर भूमि दर्ज की जानी थी एवं शेष भूमि 951 वर्गमीटर आ.ख.नं. 656/1098 रकबा 0.75 में से होनी थी मौके पर अवाप्तशुदा भूमि दोनों ही खसरा नम्बर 656 व 656/1098 में से सडक बनी हुयी है एवं दानों खसरा नम्बर में से 656 में 598 वर्गमीटर एवं 656/1098 में से

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

951 वर्गमीटर भूमि पर सडक निर्मित है तथा आ.ख.नं. 656/1098 आदिनांक तक भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज नहीं हुयी है।

चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेजात्, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत हुआ जवाब तथा तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति तथ्यात्मक रिपोर्ट मय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस से यह साफ जाहिर होता है कि आ.ख.नं. 656 से 698 वर्गमीटर तथा ख.नं. 656/1098 से 951 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 के पक्ष में अवाप्त की गयी थी, परन्तु उक्त दोनों खसरा नम्बरान् का अवाप्तशुदा रकबा 1649 वर्गमीटर भूमि एक मात्र खसरा नम्बर 656 से कम कर दी गयी, जबकि ख.नं. 656 से 698 वर्गमीटर तथा ख.नं. 659/1098 से 951 वर्गमीटर भूमि कम कर तहसीलदार को नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकार करना चाहिए था। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड से होती है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम लाडाकाबास तहसील पावटा में स्थित हाल आराजी ख.नं. 656/1/0.1649 में से रकबा 951 वर्गमीटर भूमि ख.नं. 656 के खातेदारान/अपीलान्ट के पक्ष में तथा आराजी ख.नं. 656/1098/0.75 में से रकबा 951 वर्गमीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच 08 दिल्ली के पक्ष में दर्ज की जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड नक्शें में तरमीम की जावें। इस आश्य की तहरीर तहसीलदार पावटा को पालनार्थ हेतु भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो ।

7. यह निर्णय आज दिनांक 21.1.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)